

आदेश

संख्या-526/इक्कीस-1(1)/वि0सहा0/2019-20-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,1961 (यथासंशोधित) की धारा 239 (1) एवं 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, आगरा ने जिला-आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक भवनों के निर्माण कार्य को नियंत्रित करने विषयक उपविधियाँ अन्तर्गत कार्यालय में अधिकृत श्री शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल निवासी-एफ-2 प्रथम तल ब्लॉक ई-13/6 रमन टावर संजय प्लेस, आगरा ने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा आवेदन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मैं0 कृष्णा बिल्डजोन एल0एल0पी0 एवं मैं0 अरपन बिल्डकोन प्रा0 लिमिटेड का संशोधित ले-आउट-प्लान/इंडिविजुअल प्लान (हारिकेश सिटी) स्वीकृत कराये जाने अनुरोध किया गया है। श्री शशांक अग्रवाल ने पूर्व में मैं0 कृष्णा बिल्डजोन एल0एल0पी0, आगरा एवं मैं0 अरपन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड,आगरा के (आवेदक श्री शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पता-एफ0-2 प्रथम तल ब्लॉक ई0-13/6 रमन टावर संजय प्लेस, आगरा) के द्वारा दिनांक-15.12.2021 को खसरा संख्या-1612(भाग) 1616, 1615 एवं 1616 ग्राम कुण्डौल तहसील व जिला-आगरा अन्तर्गत ले-आउट (पृथक-पृथक आवासीय प्लॉटों में बांटना, अनावसीय प्लॉटों, क्लब हाउस आदि)मानचित्र का नक्शा स्वीकृत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। कार्यालय जिला पंचायत,आगरा के पत्रांक-2169/अनुभाग-2(2535)/0562/2462853/2020-21 दिनांक-15.12.2021 के द्वारा उपरोक्त मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में रू0 21,15,755.00 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा पक्ष में दिये जाने की मांग की गई थी। फलस्वरूप मैं0 कृष्णा बिल्डजोन एल0एल0पी0 आगरा एवं मैं0 अरपन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड आगरा के (आवेदक श्री शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पता-एफ0-2 प्रथम तल ब्लॉक ई0-13/6 रमन टावर संजय प्लेस, आगरा) के द्वारा एच0डी0एफ0सी0 में रक्षित खाते में रू0 21,15,755.00 की धनराशि दिनांक 16.12.2021 को अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आगरा के पक्ष में नेफ्ट नं0-000000740189 के माध्यम से जमा कर दिया गया था। उक्त के क्रम में कार्यालय पत्रांक 2792 दिनांक 21.12.2021 के द्वारा आदेश पारित किया गया था।

वर्तमान में प्रस्तावित मैं0 कृष्णा बिल्डजोन एल0एल0पी0 एवं मैं0 अरपन बिल्डकोन प्रा0लि0 का संशोधित ले-आउट प्लान/इंडिविजुअल प्लान(हारिकेश सिटी) का मानचित्र का कुल संशोधित भूमि का क्षेत्रफल 6496.33 वर्गमीटर प्रदर्शित है। जिसमें संशोधित कुल कवर्ड प्लॉट एरिया 3299.49 वर्गमीटर जो कि अवर अभियन्ता की तकनीकी रिपोर्ट व उपविधि के मानक अनुसार है। जिसमें पूर्व में संशोधित ले आउट-प्लान में 1444.25 भाग को संशोधित किया गया है। जिसका शुल्क पूर्व जमा धनराशि में समयोजित है। जिसमें 3299.49 में से 1444.25 को घटाते हुए अवशेष भाग 1855.24 पर ले-आउट प्लान का शुल्क लिया जाना है। और जिसमें 921.97 का क्लब हाउस ले-आउट प्लान में प्रदर्शित है। अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित पारण शुल्क कुल भूमि का क्षेत्रफल कवर्ड एरिया 3299.49 वर्गमीटर में से 1855.24 वर्गमीटर पर आवासीय कॉलौनी का प्राविधान होने के कारण 20 प्रति वर्गमीटर की दर से रू0 37104.80 एवं क्लब हाउस का 921.97 वर्गमीटर पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से रू0 92197.00 इस प्रकार कुल धनराशि रू0 129301.80 है। इस प्रकार संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त परियोजना के सम्पूर्ण मानचित्र स्वीकृति शुल्क रू0 129302.00 शब्देन-एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ दो रुपये मात्र की गणना की गई है।

अवर अभियन्ता की आख्यानानुसार अधिकृत श्री शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पता-एफ-2 प्रथम तल ब्लॉक ई-13/6 रमन टावर संजय प्लेस,आगरा को जिला पंचायत,आगरा के पत्र संख्या-2008/अनुभाग-02(2535)/मानचित्र/वर्ष 2023-2024 दिनांक 05.09.2023 का अवलोकन करना चाहें, जिसमें मैं0 कृष्णा बिल्डजोन एल0 एल0पी0 एवं मैं0 अरपन बिल्डकोन प्रा0 लिमिटेड का संशोधित ले-आउट-प्लान/इंडिविजुअल प्लान (हारिकेश सिटी) पता-गाटा संख्या-1608, 1609 एवं 1610 ग्राम कुण्डौल विकास खण्ड-बरौली अहीर, तहसील-सदर, आगरा पर संशोधित ले-आउट-प्लान/इंडिविजुअल प्लान (हारिकेश सिटी) (आवासीय प्लॉट क्लब हाउस आदि) का मानचित्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में शुल्क रू0 129302.00 जिलानेधि, जिला पंचायत, आगरा के पक्ष में दिये जाने की मांग की गई थी। फलस्वरूप आप द्वारा दिनांक-05.09.2023 रू0 129302.00 (एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ दो रुपये) की धनराशि जिला पंचायत के पक्ष में जमा करा दिये गये हैं।

ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद,छावनी तथा नगर निगम क्षेत्रों के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम,गाटा/खसरा संख्या,अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो, में नहीं है, और किसी निजी भूमि पर, संस्था की भूमि पर अथवा किराये की भूमि पर जिला पंचायत,आगरा में पूर्ण अनुमति प्राप्त किये बिना न तो व्यवसायिक भवन निर्माण कर सकता है और न ही पुराने भवन में फेर-बदल कर सकता है। प्रस्तावित मानचित्र निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति से प्रदान की जाती है।

1. भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिंग/भू-अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू-स्वामित्व मामले में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(देवेन्द्र सिंह)
अभियन्ता
जिला पंचायत, आगरा।
जिला पंचायत, आगरा

(उमेश चन्द्र)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा

2. संकटमय भवन का निर्माण नहीं होगा जिसके अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर निरीक्षण करते समय अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा जांच की जा सके।
5. कार्य स्थल पर होने वाले कार्यों को जिला पंचायत द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में जिला पंचायत के अधिकारी से समय निर्धारित कर कार्यों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. भवन निर्माण/विकास कार्य समाप्त होने के उपरान्त समपूर्ति प्रमाण-पत्र जिला पंचायत से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।
7. यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।
8. उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उप धारा का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compoundig Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compoundig Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत होगा। समझौता शुल्क (Compoundig Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा-248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।
9. सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता: प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।
10. स्थल की साईट से होकर जा रही 132 के0वी0 की लाईन के लिए कंरिज व छोड़ दिया जाना चाहिये। लो एवं माध्यम वोल्टेज विद्युत लाइन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम उर्ध्वाधर/क्षैतिज क्रमशः 2.50 मी0 एवं 1.20 मी0 हाई वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विद्युत लाइन से निर्माण की न्यूनतम दूरी उर्ध्वाधर /क्षैतिज क्रमशः 3.70 मी0 एवं 2 मीटर होगी।
11. निर्माण करते समय सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नहीं रखी जायेगी और गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
12. उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचायिलत अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि, इस प्रकार स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।
14. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उनके भाग किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव न रखें।
15. पार्को तथा खुले स्थान में मानको के अनुसार ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे-भरे रह सकें। पार्किंग हेतु अराक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी स्थल पर पेड़ लगे हुये हैं और उन्हें काटने की आवश्यकता है तो आपको वन विभाग से अनमति प्राप्त करनी होगी।

(देवेन्द्र सिंह)
अभियन्ता
जिला पंचायत, आगरा।
जिला पंचायत, आगरा

(उमेश चन्द्र)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा

16. भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानको का पालन करना होगा।
17. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अन्तर्गत भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेनट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा।
प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
18. कार्य स्थल पर कार्य करने वाले लोगो की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी और प्रत्येक कर्मचारी कार्य स्थल पर सुरक्षाकिट के साथ ही कार्य करेगा।
19. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
20. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है, प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है, प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों तथा प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (seal) किया जा सकता है। संशोधित मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् पूर्व स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तथा निर्माण किया गया कार्य बिना शुल्क/फीस के माना जायेगा तथा आवेदक की कीमत पर तुड़वाया जा सकता है। इस अनुज्ञा पत्र की क्रम सं० 01 से 20 तक अंकित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। तदनुसार शुल्क/फीस सम्बन्धित द्वारा देय होगी।
21. स्थल पर बोरिंग करने से पूर्व भू-गर्भ जल संसाधन विभाग से जल-संशोधन का पंजीकरण कराना होगा।
22. संस्था के क्रिया-कलाप किसी सक्षम स्तर/मा० न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर तदनुसार पालन करना होगा।
23. (श्री निखिल अग्रवाल पता-प्रथम तल रमन टावर संजय प्लेस, आगरा) के द्वारा मै० कृष्णा बिल्डजोन एल.एल.पी. एवं मै० अरपन बिल्डकोन प्रा०लि० का लेवर सेस के सम्बन्ध में दिनांक 08.09.2022 को श्रम विभाग कार्यालय में अधिष्ठान पंजीयन संख्या डी०-16005502 कराया गया था। उक्त अधिष्ठान पंजीयन संख्या डी०-16005502 दिनांक 08.09.2022 के सम्बन्ध में आशिक धनराशि दिनांक 23.09.2022 को रू० 15000.00, दिनांक 09.05.2023 को रू० 50000.00 एवं दिनांक 24.07.2023 को 20000.00 इस प्रकार कुल रू० 85000.00 की धनराशि जमा करा दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त उप श्रम आयुक्त उ०प्र० आगरा क्षेत्र, आगरा की अन्य कोई देयता बनती है तो उसको जमा करने का समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
24. पर्यावरण/प्रदूषण/वर्ड सेन्चयूरी आदि के नवीनतम आदेशों का पालन करना होगा।
25. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी/कूटरचित है अथवा गलत विवरण दिया है, प्रस्तावित भवन उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है, प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो तथा प्रस्तावित निर्माण लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत अथवा आस पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो, तो जिला पंचायत द्वारा दी गई नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, सील किया जा सकता है तथा निर्माण किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा तथा भवन ध्वस्तीकरण पर समस्त व्यय/स्वर्च की वसूली आवेदक से की जायेगी।
26. उक्त संदर्भित निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार वृक्ष/पौधारोपण लगाया जाना अनिवार्य है।
27. आवेदक/फर्म/कम्पनी/ट्रस्ट द्वारा किसी भी अन्य विभाग के नियमों/आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
28. जिला पंचायत आगरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद एवं नोटिफाईड एरिया की सीमा से बाहर तथा आवास विकास द्वारा अधिगृहित/अधिसूचित ग्रामों, आगरा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित विकास क्षेत्रों के ग्रामों, लीडा/यू०पी० सीडा के अधिसूचित ग्रामों को छोड़कर ही भवन निर्माण की स्वीकृति दे सकती है। अतः यदि उक्त भवन जिला पंचायत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में आता है, मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
29. मानचित्र की स्वीकृति की परिधि में यदि संबंधित ग्राम में चकबंदी हो रही है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी है।

(देवेन्द्र सिंह)
अभियन्ता
जिला पंचायत, आगरा।
जिला पंचायत, आगरा

(उमेश चन्द्र)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा

30. आवेदक के द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर आगरा के कार्यालय से धारा 80 प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
31. मानचित्र मै0 कृष्णा बिल्डजोन एल0एल0पी0 एवं मै0 अरपन बिल्डकोन का संशोधित ले-आउट-प्लान/इंडिविजुअल प्लान (द्वारिकेश सिटी) गाटा संख्या-1608, 1609, 1610, 1612, 1614, 1615 एवं 1616 ग्राम कुण्डौल विकास खण्ड-बरौली अहीर, तहसील-सदर, आगरा की स्वीकृति प्रस्तुत अभिलेखों की छायाप्रतियों एवं उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदान की जा रही हैं। स्वीकृति परियोजना परिधि में किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि/पट्टा भूमि/ग्राम समाज/नाली/चकरोड़/बंजर/तालाब/चारागाह/सम्पर्क मार्ग/वन आरक्षित/आरक्षित/अधिसूचित/अधिग्रहीत भूमि या कूट रचित अभिलेख/असत्य सूचना पाई जाती है अथवा किसी भी मा0 न्यायालय में योजित वाद मानचित्र की स्वीकृति के पश्चात् पाया जायेगा तो मानचित्र की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
32. किसी भी प्रकार के ऋण/लोन/बंधक भूमि हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- दण्ड :-** उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, आगरा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1000.00 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किये जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

(देवेन्द्र सिंह)
अभियन्ता
जिला पंचायत, आगरा।

(उमेश चन्द्र)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।

कार्यालय जिला पंचायत, आगरा।

पत्रांक : १०५० / अनुभाग-02(2535) / मानचित्र / 2023-24

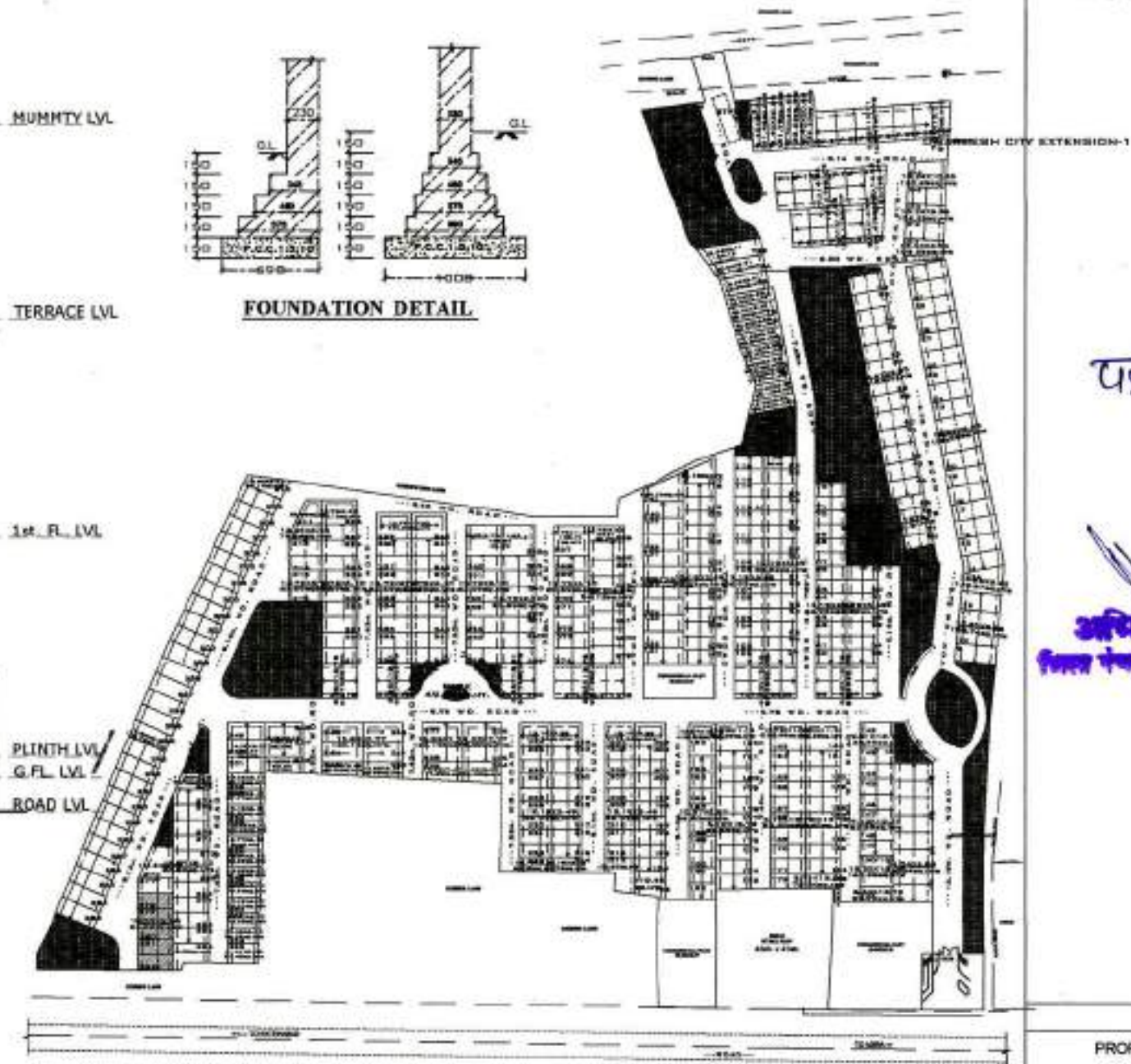
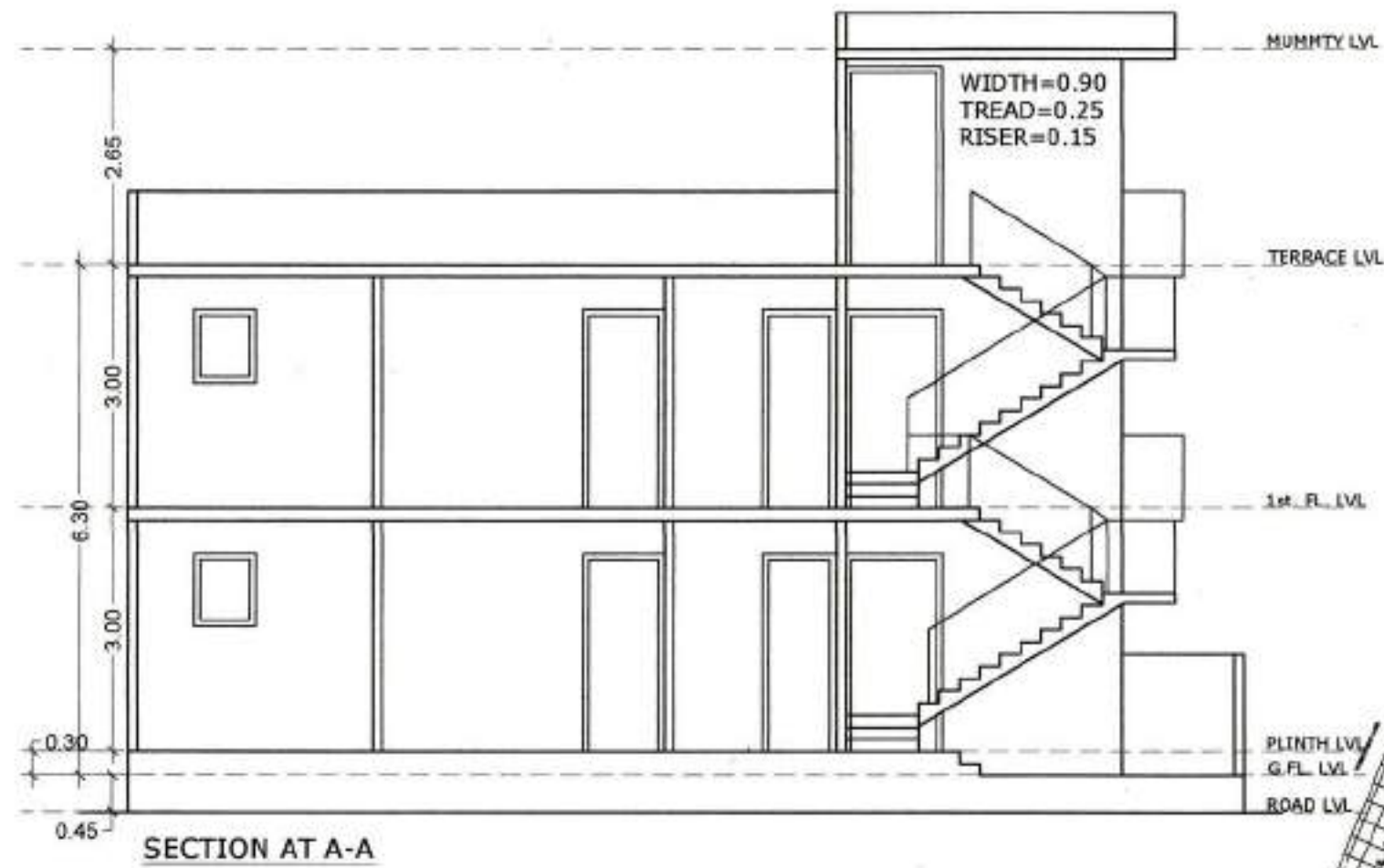
दिनांक:- 11.09.2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।
2. अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा।
4. लेखाकार, जिला पंचायत, आगरा।
5. आवेदक श्री शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल निवासी-एफ-2 प्रथम तल ब्लॉक ई-13/6 रमन टावर संजय प्लेस, आगरा
6. सहायक, श्रम आयुक्त, आगरा।

(देवेन्द्र सिंह)
अभियन्ता
जिला पंचायत, आगरा।
जिला पंचायत, आगरा

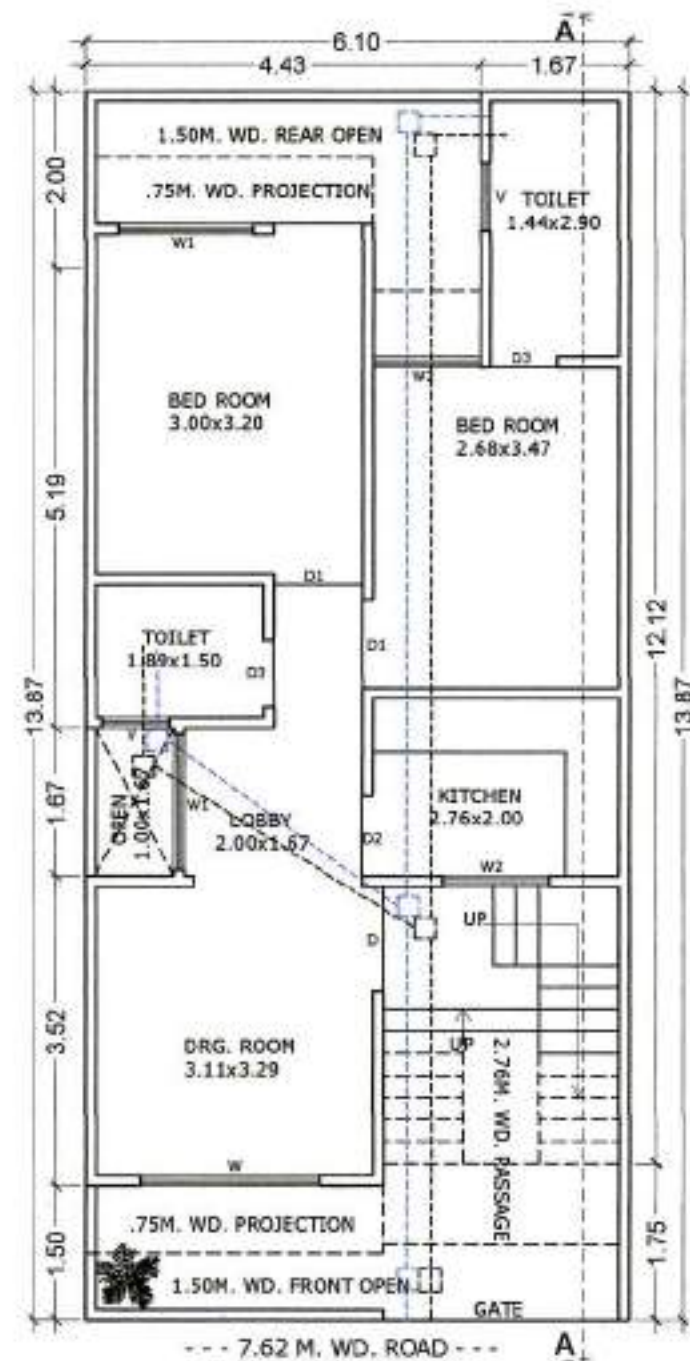
(उमेश चन्द्र)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा



पक्ष - 2050
11/9/2023

अभियंता
जिला पंचायत, आगरा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा



FIRST FLOOR PLAN

TERRACE
SLOPE-1:100

OREN
1.00x0.67

2.99
W7

DN

KEY PLAN N.T.S.

O.P. 6.10

4.43 1.57

2.00M. WD. REAR OPEN

3.23 3.01 1.01 1.20

PROPOSED CONSTRUCTION AREA

O.P. 13.87 5.19 1.67 13.87 12.12 13.87

OPEN 1.00M. WD.

1.50 3.52 0.25 2.76

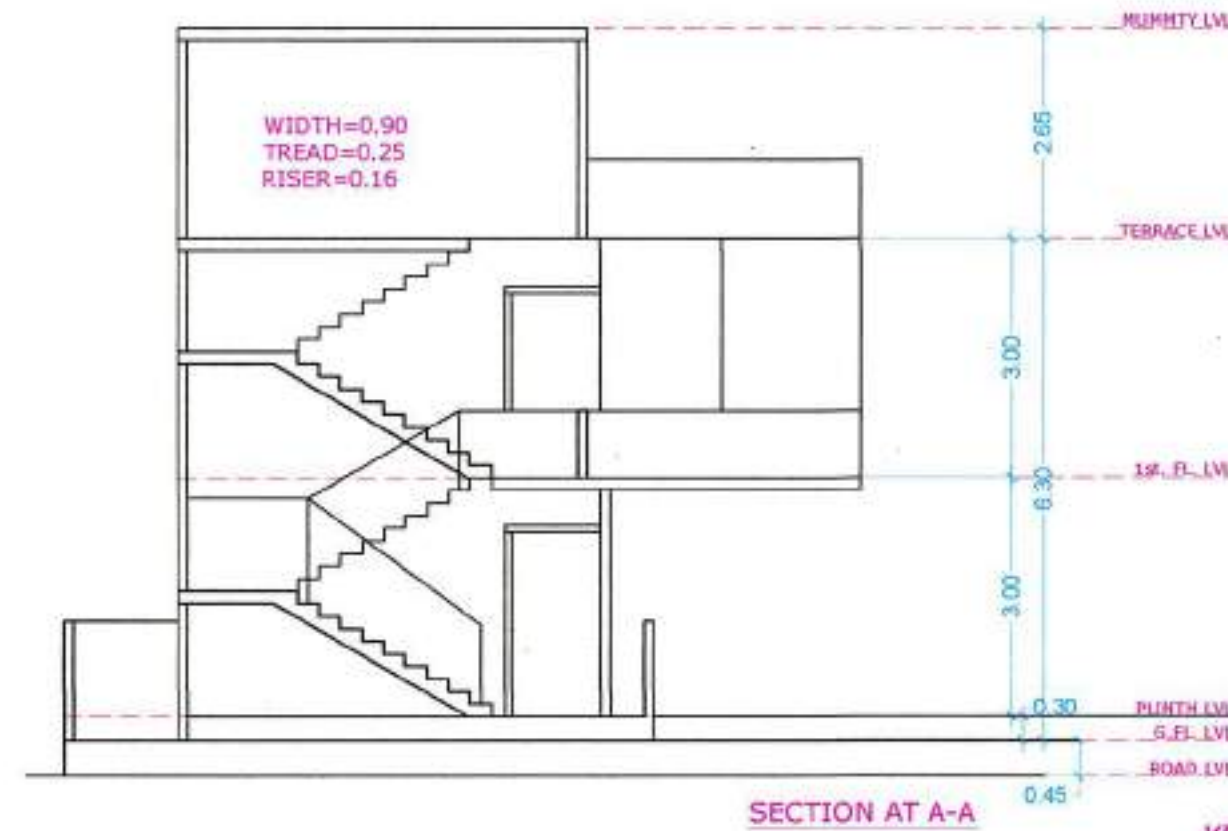
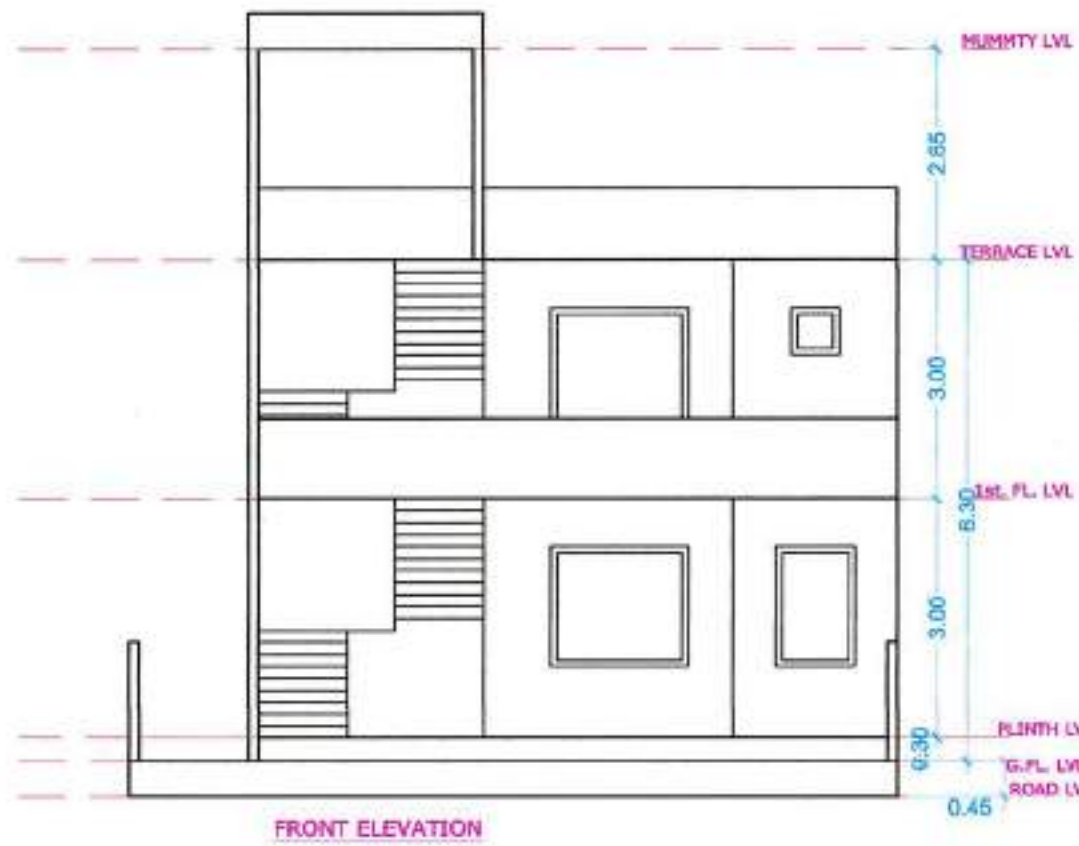
3.34 1.75

1.50M. WD. FRONT OPEN

GATE

THEME CONSULTANTS

3/1

पत्रांक - 2050
11/09/2023अभिषेक
जिला पंचायत, अहमदाबादअपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अहमदाबाद

KEY PLAN R.T.S.



REFERENCE

PROPOSED WORK SHOWN

OTHER'S PROPERTY

SEWERLINE

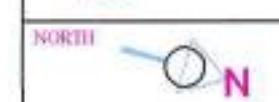
SCHEDULE OF DOOR & WINDOWS

DESCRIPTION	OPENING	SILL LEVEL	LINTEL LEVEL
D1	5.12	---	2.44
D2	5.94	---	2.44
D3	8.76	---	2.44
D4	8.88	---	2.44
D5	1.52	0.00	2.44
W1	2.00	0.00	2.44
W2	1.52	0.00	2.44
W3	1.80	0.00	2.44
V	0.00	1.54	2.44

AREA STATEMENT

	SQMT.	%
1. TOTAL PLOT AREA	83.85	100
2. PROP.GROUND FL. COVD.AREA	48.45	57.78
3. PROP FIRST FL. COVD.AREA	48.45	57.78
4. PROP MUMMTY COVD.AREA	10.72	12.78
5. TOTAL COVD.AREA	96.90	1.15
6. OPEN AREA ON GROUND FL.	35.40	42.22

SCALE



PROPOSED UNIT PLAN OF PLOT NO.311
AT DWARKESH CITY, (KHASRA
NO.1608,1609,1610,1612,1614,1615
& 1616) VILLAGE KUNDOL, AGRA

OWNER:- ARPAN BUILDCON PVT. LTD.

ARCHITECT'S SIGN:

OWNER SIGN:-

Arpan Buildcon Pvt. Ltd.
B. ARCH
THEME CONSULTANTS
22, Khandari Road
AGRA-2, Ph: 2027234

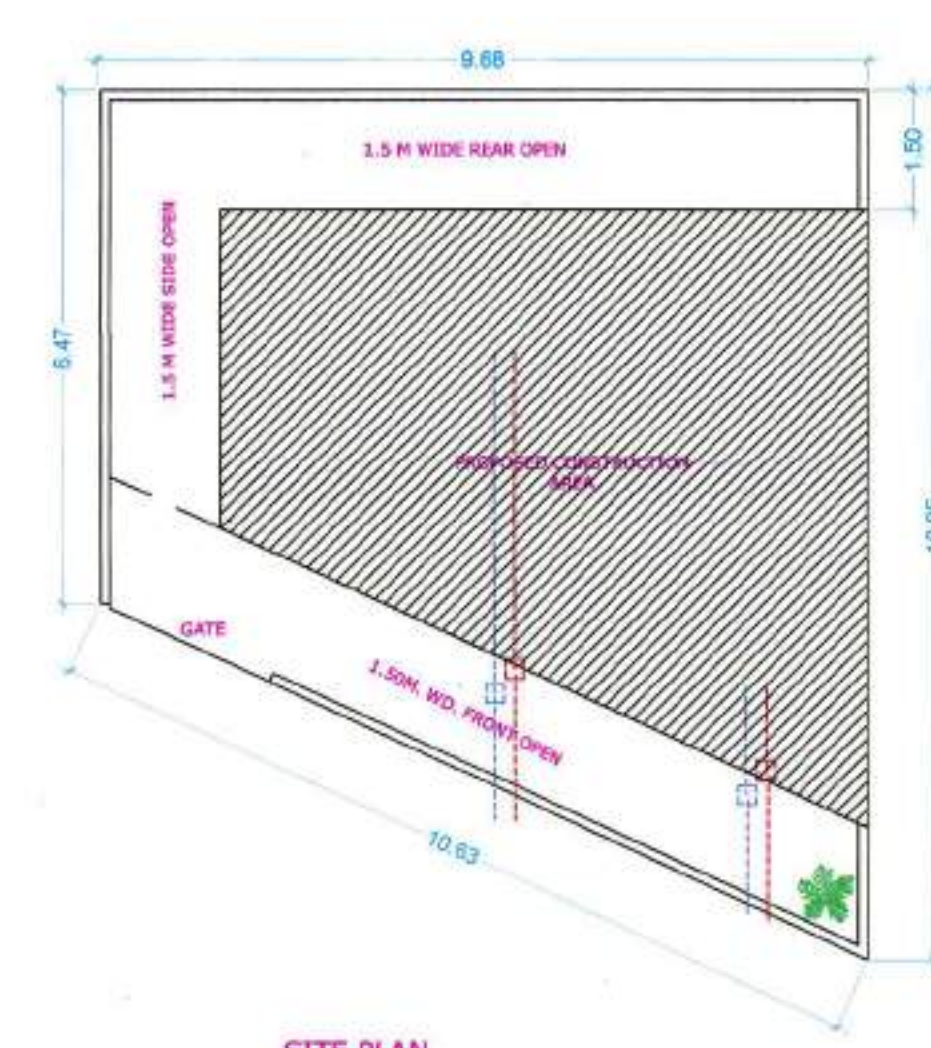
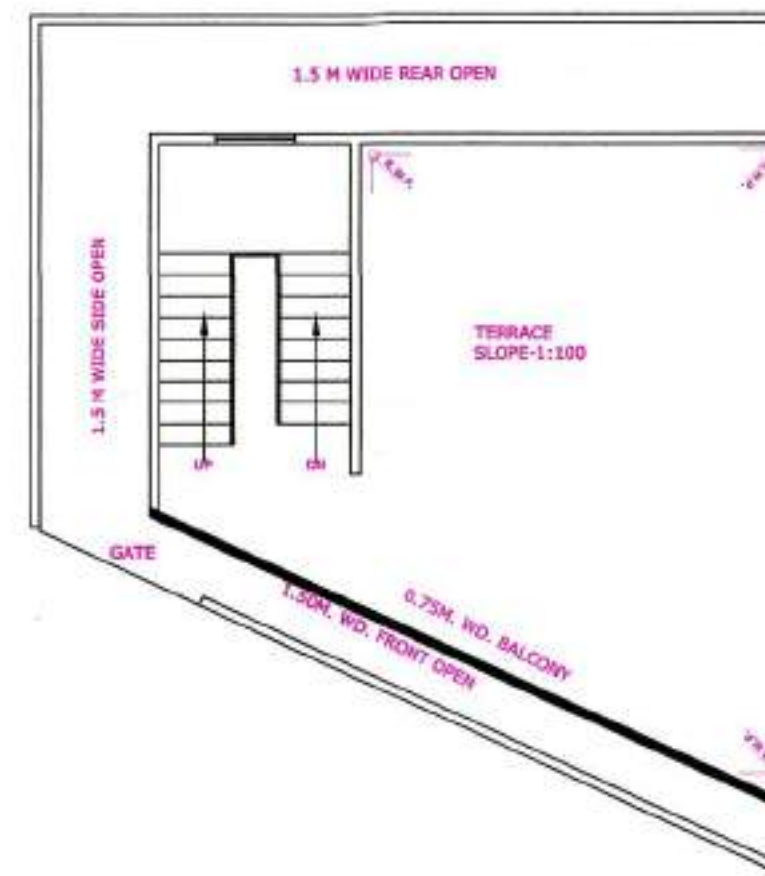
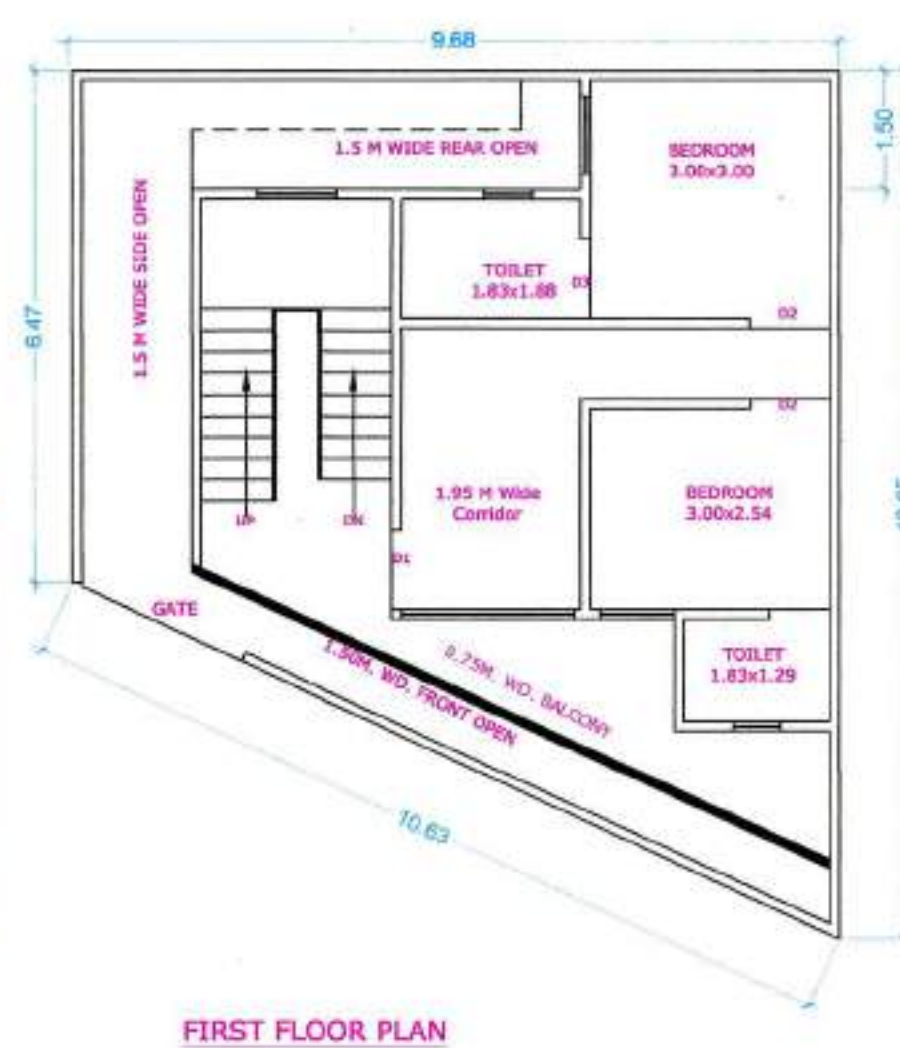
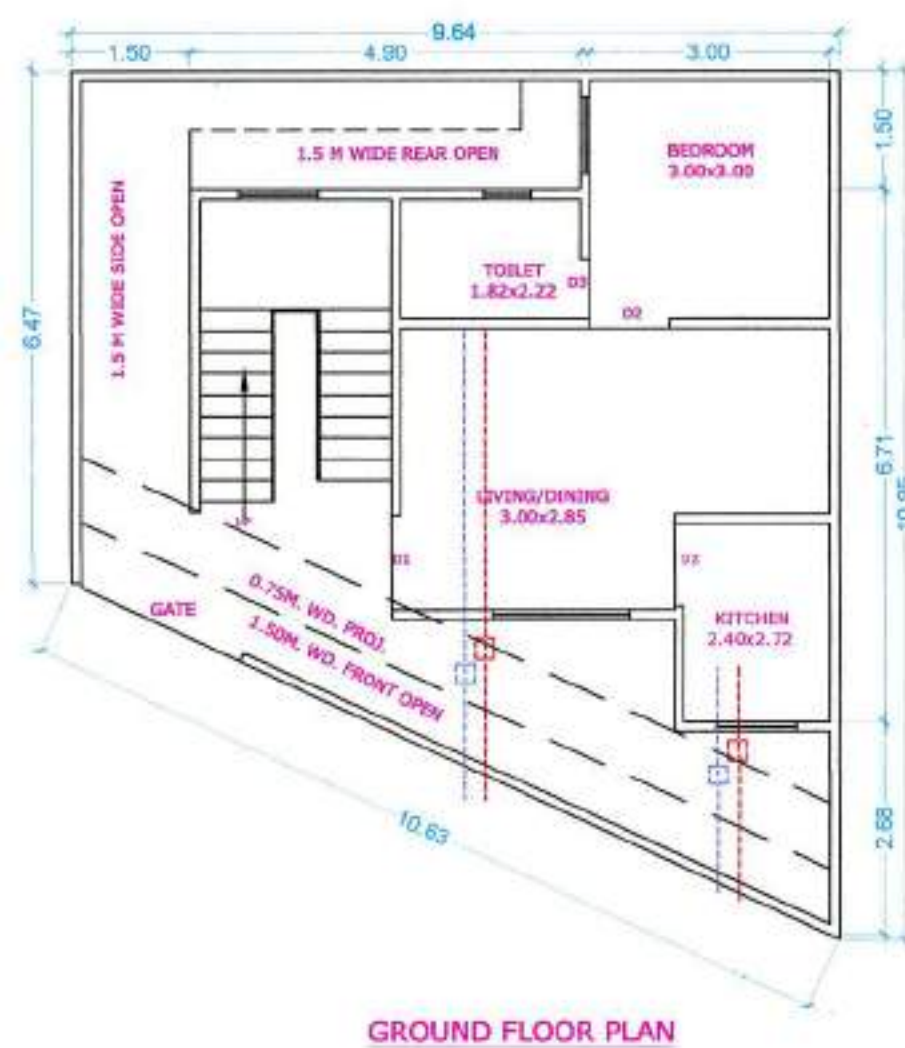
For Arpan Buildcon Pvt. Ltd.
Director/Auth. Signatory

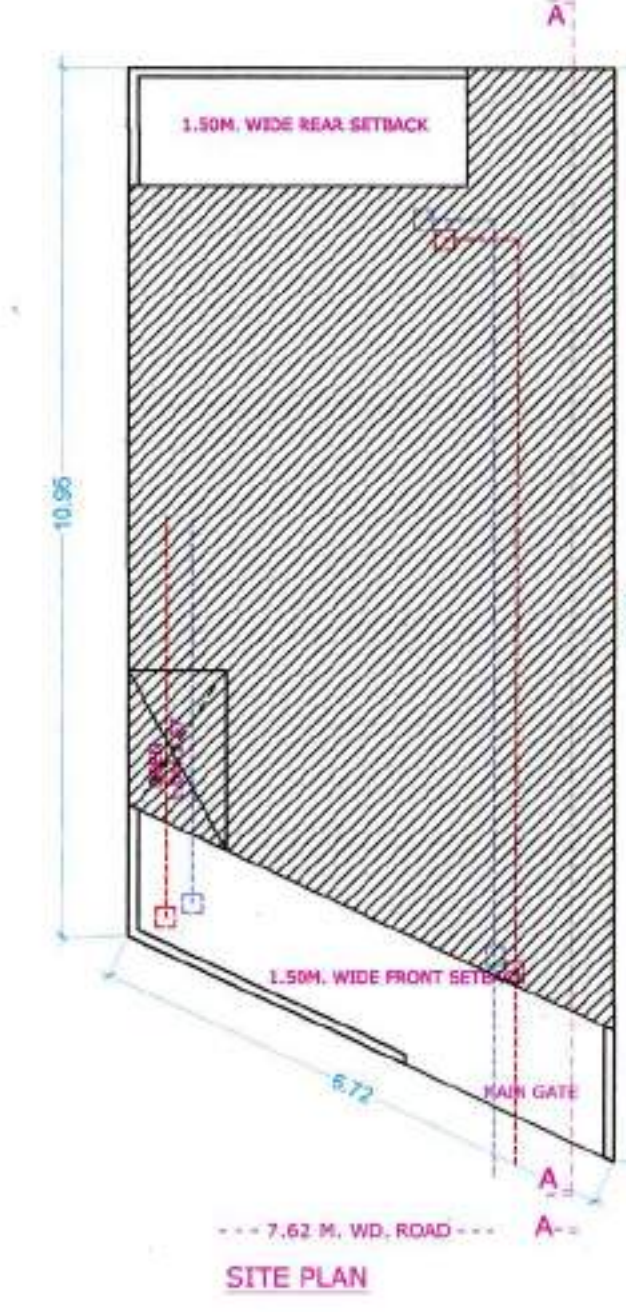
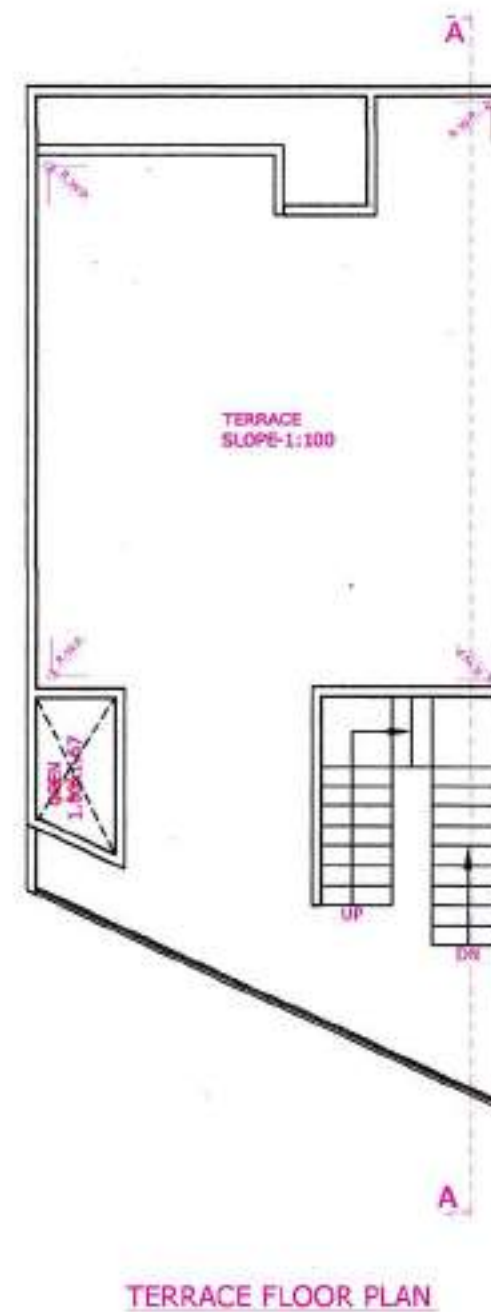
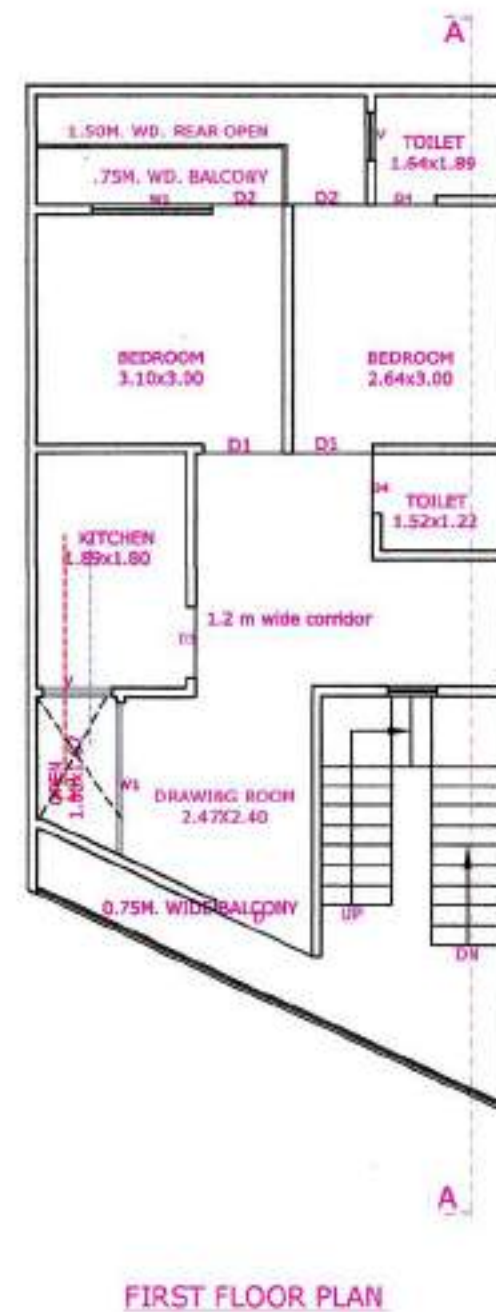
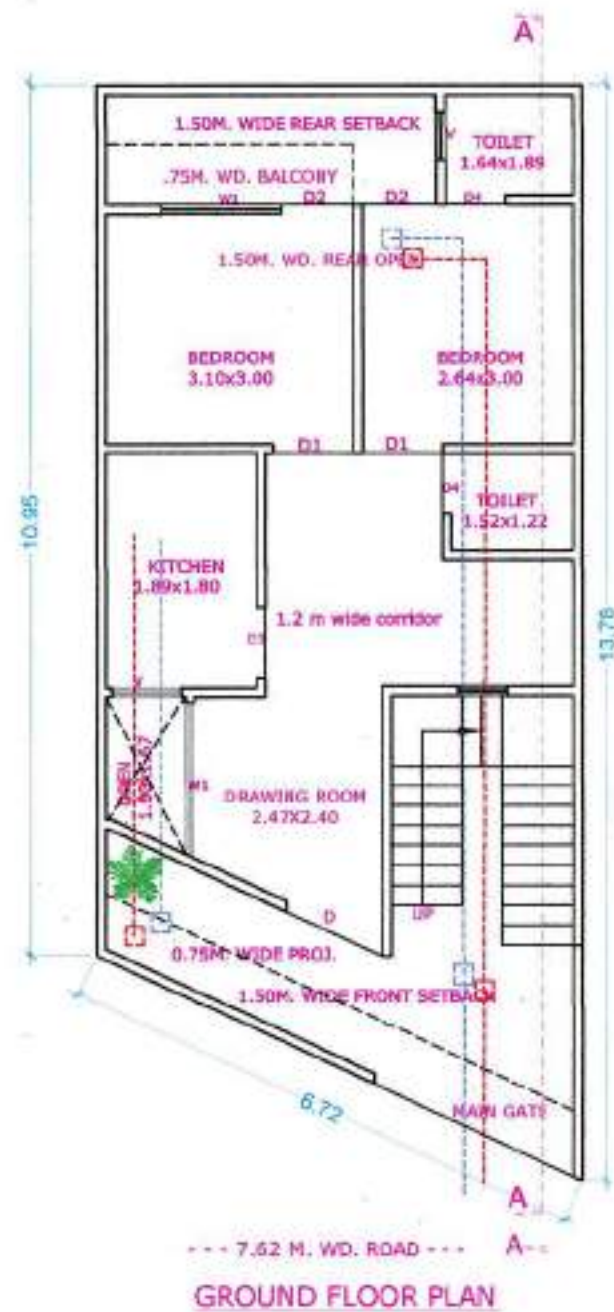
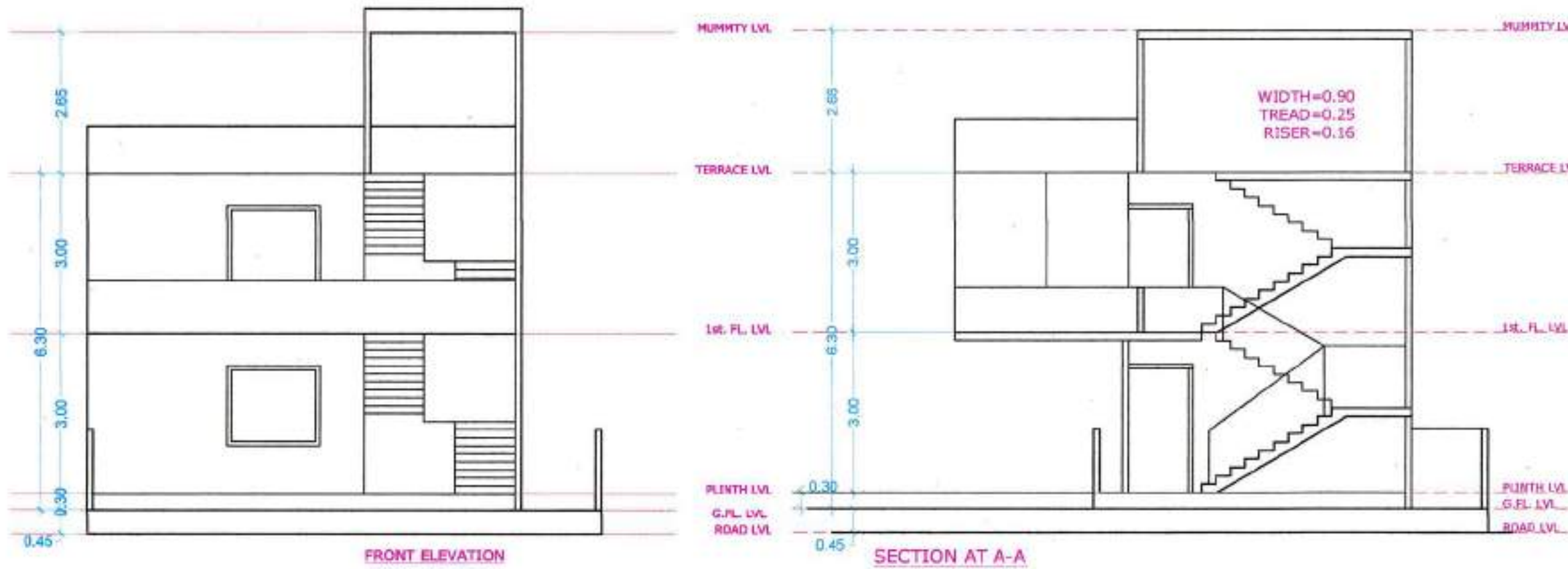
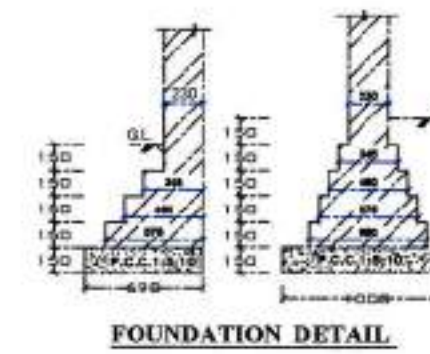
REG No: C-2023/11/09/2023

SUBMISSION DRG.

SHEET NO. 01/1

THEME CONSULTANTS





SPACE FOR SEAL

312

फाईल 2080
11/9/2023

अभिषेक
जिला पंचायत, अमरा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अमरा

REFERENCE

PROPOSED WORK SHOWN
OTHER'S PROPERTY
SEWER LINE

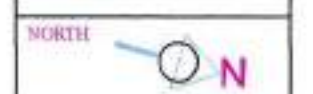
SCHEDULE OF DOOR & WINDOWS

DESCRIPTION	OPENING	SILL LEVEL	LINTEL LEVEL
D1	1.12	—	2.64
D2	1.84	—	2.64
D3	0.90	—	2.64
D4	0.90	—	2.64
DW	1.32	0.90	2.64
W1	2.00	0.90	2.64
W2	1.60	0.90	2.64
W3	1.60	0.90	2.64
W	6.90	1.94	2.64

AREA STATEMENT

	SQMT.	%
1. TOTAL PLOT AREA	75.34	100
2. PROP. GROUND FL. COVD. AREA	56.26	74.67
3. PROP. FIRST FL. COVD. AREA	56.26	74.67
4. PROP. MURPHY COVD. AREA	8.57	7.6
5. TOTAL COVD. AREA	112.52	1.49
6. OPEN AREA ON GROUND FL.	19.08	25.33

SCALE



PROPOSED UNIT PLAN OF PLOT NO.312
AT DWARKESH CITY, (KHASRA
NO.1608,1609,1610,1612,1614,1615
& 1616) VILLAGE KUNDOL, AGRA

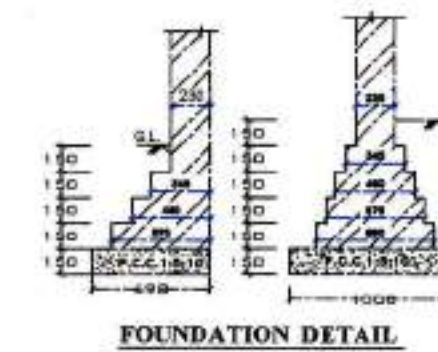
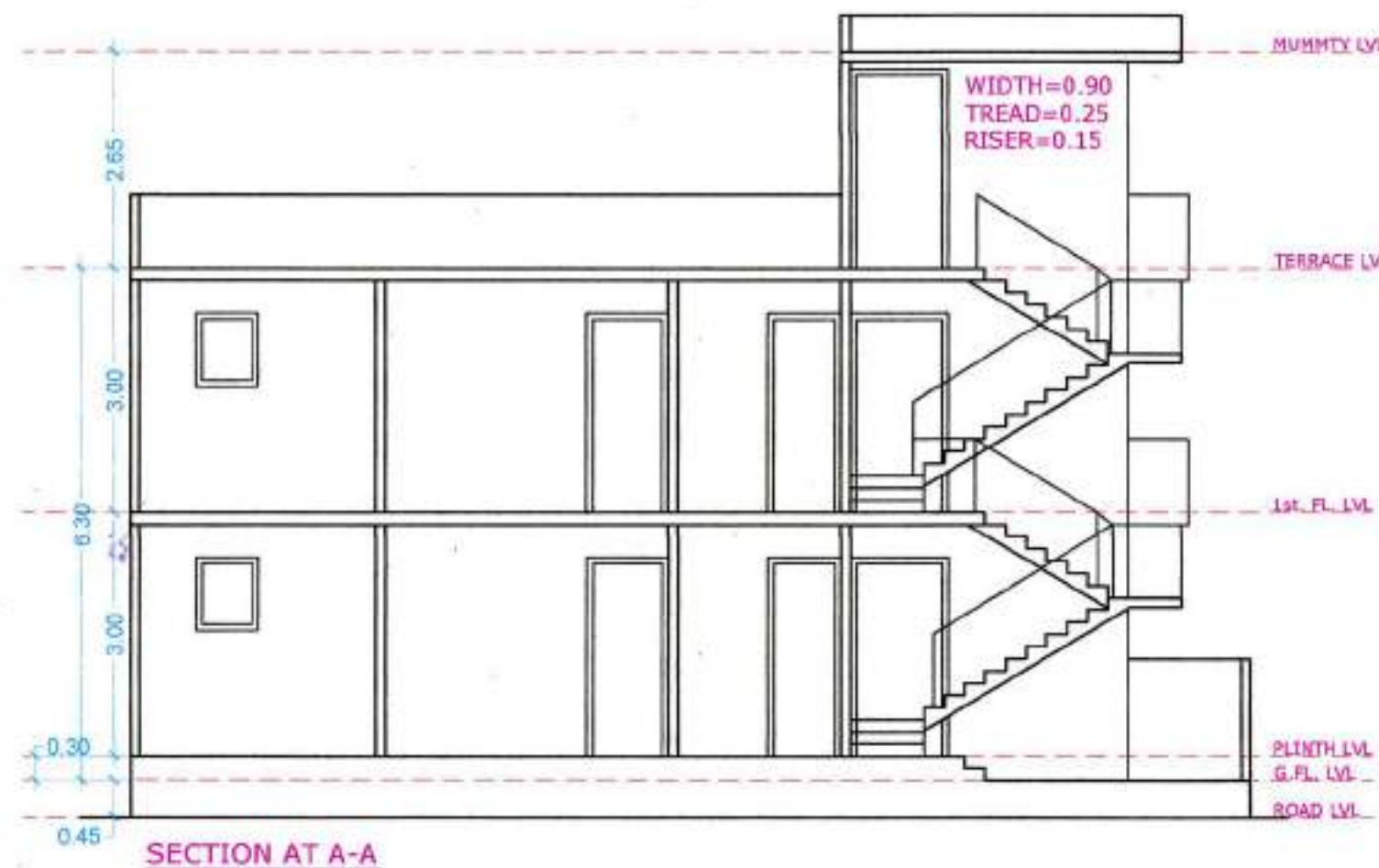
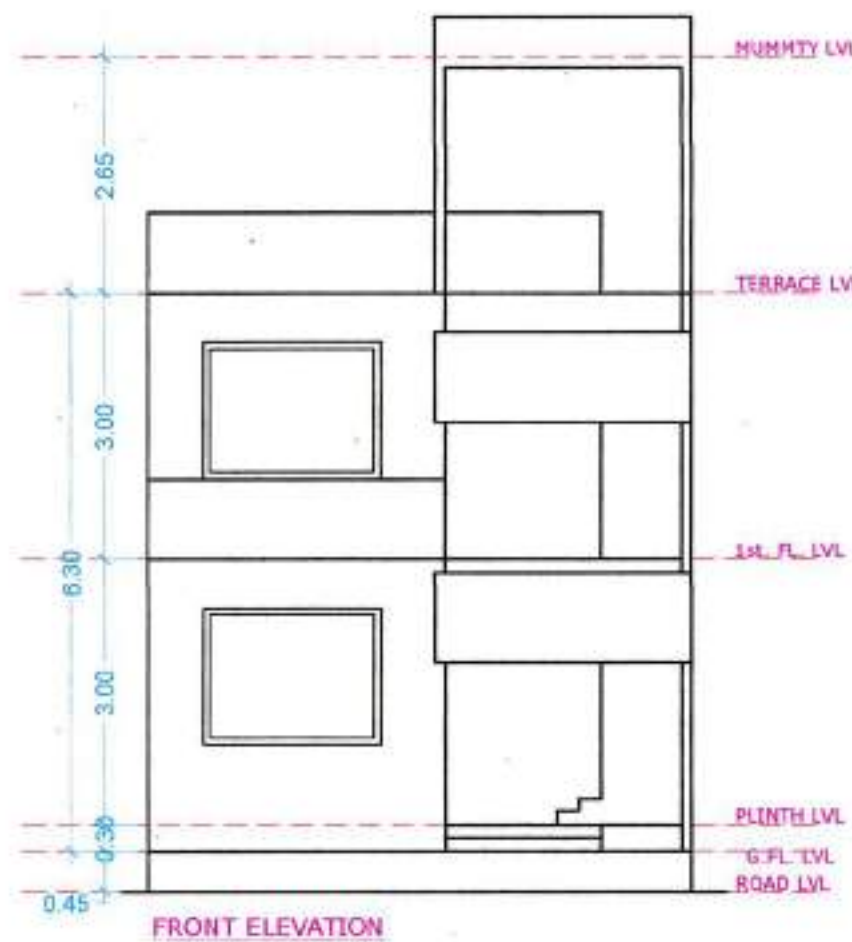
OWNER:- ARPAN BUILDCON PVT. LTD.

ARCHITECT'S SIGN:

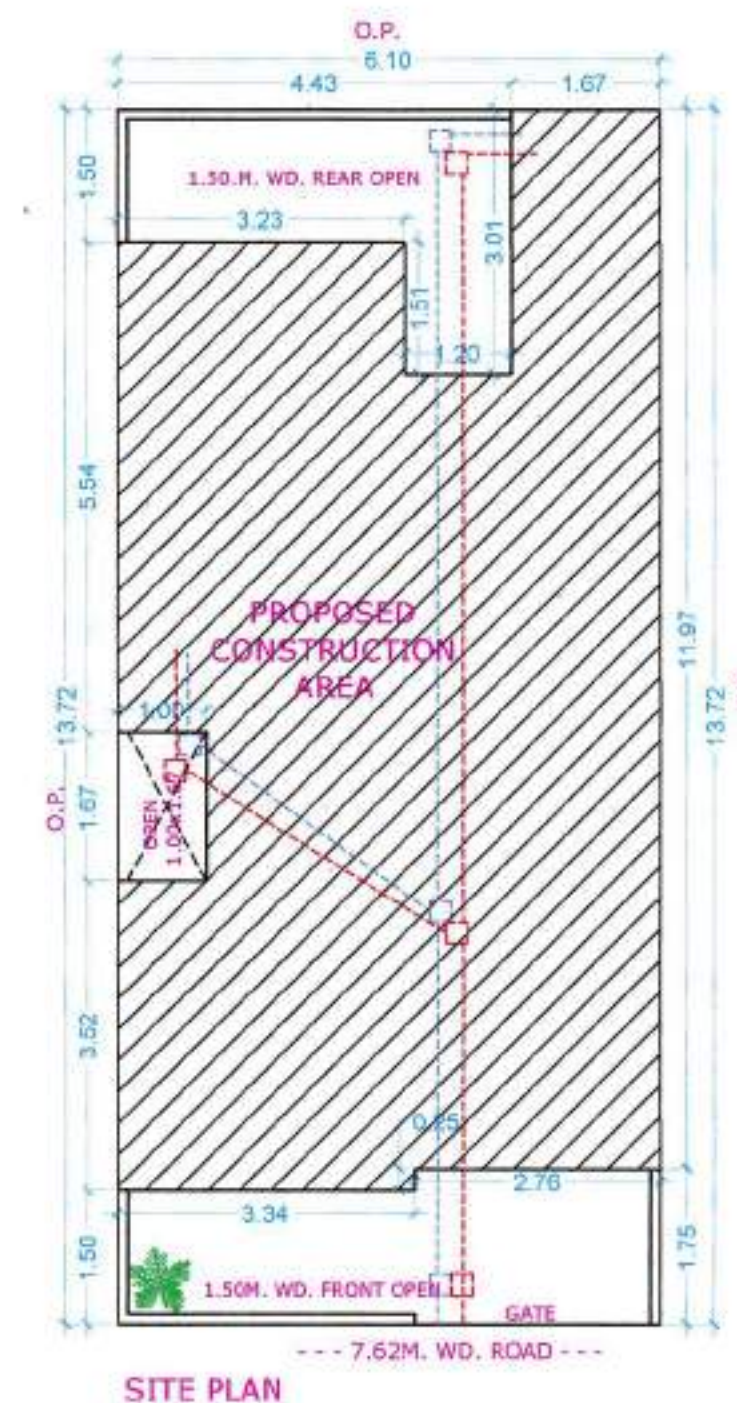
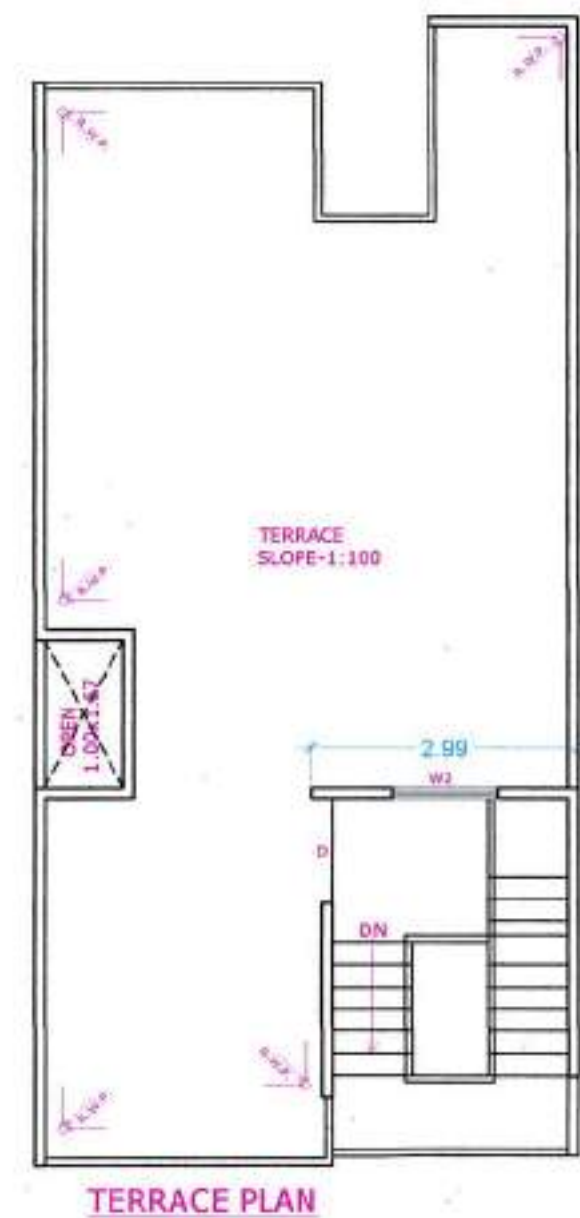
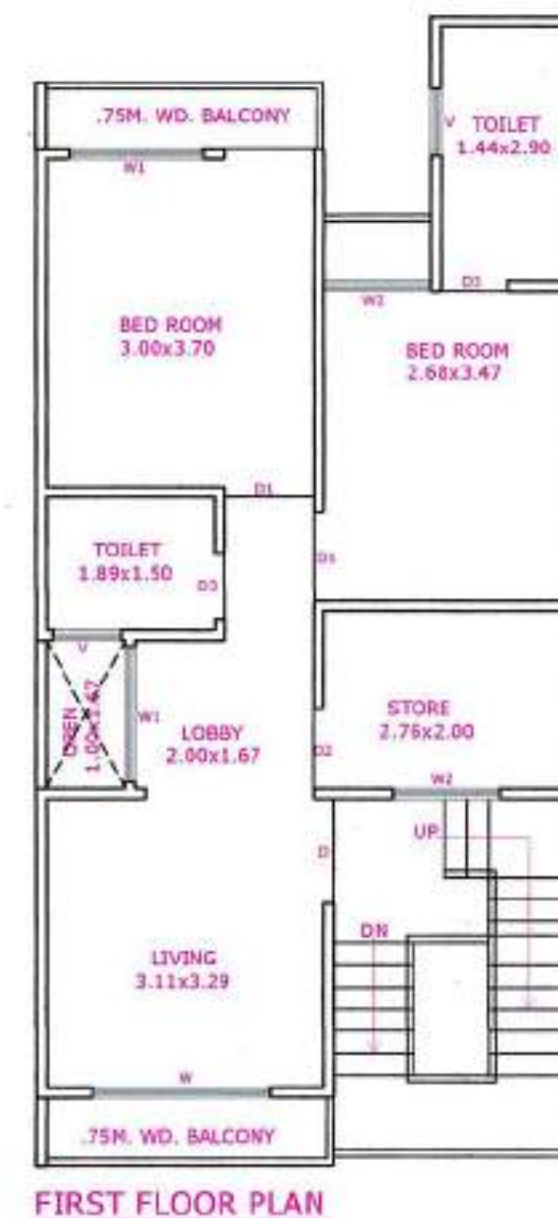
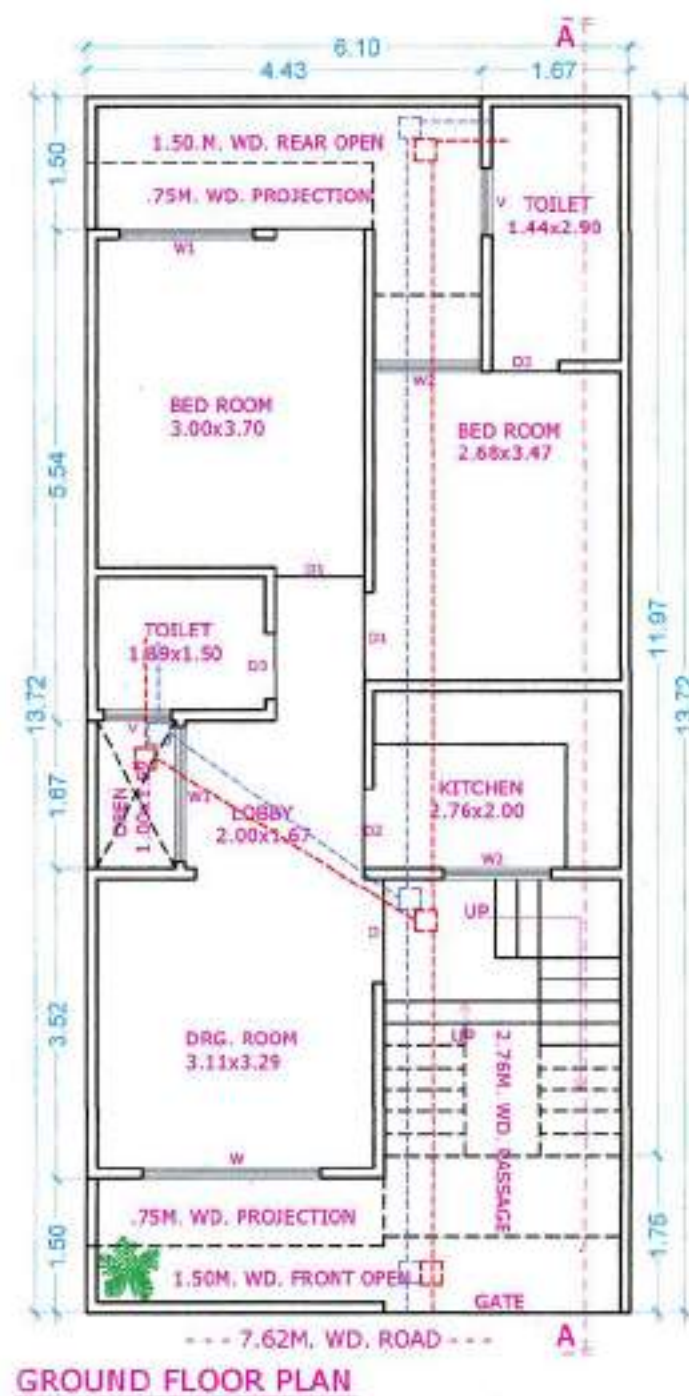
OWNER SIGN:-

For Arpan Buildcon Pvt. Ltd.
Director/Auth. Signatory
THEME CONSULTANTS
22, Khaduri Road
AGRA-2, PIN-202002
Reg. No. CA/2000, 75907

THEME CONSULTANTS



3BHK SIMPLEX (G+1)



SPACE FOR SEAL

313 TO 316

पत्रांक - 2050
11/05/2023

अभियंता
जिला पंचायत, अजमेर

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बागरा

REFERENCE

PROPOSED WORK SHOWN ☐
OTHER'S PROPERTY ☐
SEWER LINE ☐

SCHEDULE OF DOOR & WINDOWS

DESCRIPTION	OPENING	SILL LEVEL	LINTEL LEVEL
D	1.20	---	2.44
D1	1.00	---	2.44
D2	0.90	---	2.44
D3	0.75	---	2.44
W	2.00	0.00	2.44
W1	1.50	0.00	2.44
W2	1.20	0.00	2.44
V	1.75	1.50	2.44

AREA STATEMENT

	SQMT.	%
1. TOTAL PLOT AREA	83.69	100
2. PROP. GROUND FL. COVD. AREA	63.74	76.16
3. PROP. FIRST FL. COVD. AREA	63.74	76.16
4. PROP. MUMMTY COVD. AREA	09.77	11.67
5. TOTAL COVD. AREA	137.25	1.63
6. OPEN AREA ON GROUND FL.	19.95	23.83

SCALE

NORTH
N

PROPOSED UNIT PLAN OF PLOT NO. 313 TO 316
-273 AT DWARKESH CITY, (KHASRA NO. 1608, 1609, 1610, 1612, 1614, 1615 & 1616) VILLAGE KUNDOL, AGRA
OWNER:- ARPAN BUILDCON PVT. LTD.

ARCHITECT'S SIGN: OWNER SIGN:-

For Arpan Buildcon Pvt. Ltd.
B. ARCH.
Director/Auth. Signatory

THEME CONSULTANTS
AGRA-2, Ph. 297888
Reg. No. CA/2001/25/2007 NO. 1/1

THEME CONSULTANTS